

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
क्रमांक : प.3(बी)(2)संस्था/उप/2026/ए-
दिनांक :-

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक क्रमांक: प.3(1)प्र.सु./अनु.-3/2024-07601 दिनांक 08.07.2026 के द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अभ्यर्थियों को, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 यथा संशोधित के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के परीवीक्षाकाल पर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पर, वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 11.12.2024 के शिडयूल IV के तहत 12600/- (अखरे रुपये बारह हजार छः सौ मात्र) स्थिर पारिश्रमिक मासिक की दर पर एवं तत्पश्चात् परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स के लेवल-2 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर एतद्द्वारा पदस्थापन किया जाता है :-

SL No	RANK	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	Posting office
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	120	GANESH BAIRAGI	JAGDISH BAIRAGI	07.07.2001	MALE	OBC	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
2	205	HITESH	KULDEEP SHARMA	31.10.1999	MALE	EWS	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
3	477	MAHAVEER KUMAWAT	TULSI RAM KUMAWAT	01.07.1999	MALE	OBC	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
4	989	NARESH KUMAR PRAJAPATI	RAM KUMAR PRAJAPATI	05.02.1994	MALE	OBC	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
5	1009	RAMDEV JANGIR	BHURA RAM	05.08.1992	MALE	OBC	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
6	1088	MOHAMMED YUNUS	MOHAMMED USMAN	13.07.2002	MALE	OBC	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
7	1401	MONU SAIN	NIRANJAN SAIN	02.02.1994	MALE	OBC	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
8	6399	MS MEGHA	KISHAN SINGH	21.10.1993	FEMALE	EWS	-	GEN-ARD	कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (प्रशासन) जैसलमेर
9	7552	ANITA KUMARI	RAM NIWAS JAKHAR	29.06.2001	FEMALE	OBC	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
10	9390	KEERTI JOSHI	MAHESH JOSHI	10.04.1992	FEMALE	EWS	-	GEN-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
11	13346	TRILOK CHAND DHAKAR	LALA RAM DHAKAR	01.08.1998	MALE	OBC	-	OBC-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर

RajKaj Ref No.:
24011122



Digitally signed by
NAVNEET KUMAR
 Designation: Commissioner
 Date: 2026-08-13 13:54:17
 IST

SL No	RANK	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	Posting office
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	13401	DILKHUSH MEENA	RAMKESH MEENA	13.05.2002	MALE	ST	—	ST-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
13	13427	HARISH PRAJAPAT	BABU RAM	18.06.2004	MALE	OBC	—	OBC-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
14	13955	SANG SINGH	DEVI SINGH	06.08.1999	MALE	EWS	—	EWS-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत
15	15223	ASHOK KUMAR	MAKHNA RAM	16.06.2002	MALE	SC	—	SC-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर
16	15619	HARISHANKER SHARMA	BABU LAL	30.07.1992	MALE	EWS	—	EWS-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत
17	15793	ABHILASH SHARMA	RAJENDRA PRASHAD SHARMA	09.05.1994	MALE	EWS	—	EWS-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत
18	15824	ADITYA SHARMA	KAJORI MAL	08.08.1997	MALE	EWS	—	EWS-ARD	कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर
19	15969	BASANT KUMAR CHATURVEDI	GIRIRAJ PRASAD	04.01.1997	MALE	EWS	—	EWS-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर
20	16045	RAHUL GURJAR	BAJRANG LAL GURJAR	20.10.2002	MALE	MBC	—	MBC-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार जैसलमेर
21	17016	RAVI KUMAR JOLIYA	PRABHU DAYAL RAIGAR	15.09.2002	MALE	SC	—	SC-ARD	कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन मोहनगढ़ ए
22	17312	SATVEER BAIRWA	RAMFOOL BAIRWA	08.07.1999	MALE	SC	—	SC-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार मोहनगढ़ नं0 2
23	18386	SURENDRA KUMAR MEENA	BABU LAL MEENA	18.02.2001	MALE	ST	—	ST-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार नाचना नं0 1
24	18466	MANISH MEENA	KALYYAN SAHAI MEENA	21.03.1994	MALE	ST	—	ST-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार मोहनगढ़ नं0 2
25	19133	CHHAGAN LAL MEENA	RAM SINGH MEENA	14.07.2002	MALE	ST	—	ST-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार नाचना नं0 2
26	45684	KAVITA	DUNI RAM	15.08.2001	FEMALE	OBC	—	OBC-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
27	46147	ANITA CHOUDHARY	BADRI LAL CHOUDHARY	21.07.1994	FEMALE	OBC	—	OBC-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार नाचना नं0 1

RajKaj Ref No.:
24011122



Digitally signed by
NAVNEET KUMAR
Designation: Commissioner
Date: 2026-08-13 13:54:17
IST

SL No	RANK	NAME	FATHER'S NAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	Posting office
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	46700	BEENA CHOUDARY	SHYOJIRAM CHOUDHARY	18.08.1998	FEMALE	OBC	—	OBC-ARD	कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना
29	48262	DIKSHA SAIDAWAT	TEJ KUMAR SAIDAWAT	09.08.2001	FEMALE	EWS	—	EWS-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
30	49970	PRITI SHARMA	MAHESH CHAND SHARMA	20.10.1998	FEMALE	EWS	—	EWS-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार नाचना नं0 1
31	53260	PREMLATA	AMARA RAM	05.06.1998	FEMALE	SC	—	SC-ARD	कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत
32	55347	ANITA MAHAWAR	KALYAN MAL MAHAWAR	01.07.1992	FEMALE	SC	—	SC-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार नाचना नं0 1
33	58173	SITA KUMARI MEENA	RAJKUMAR MEENA	04.02.1998	FEMALE	ST	—	ST-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर
34	63345	NEHA KUMARI MEENA	JITENDRA KUMAR MEENA	20.11.1998	FEMALE	ST	—	ST-ARD	कार्यालय उपनिवेशन तहसीलदार रामगढ़ नं0 1
35	74586	BHAGWAN RAM	BABU LAL	21.09.1996	MALE	MBC	LDCP	MBC-ARD	कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 व अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 11.12.2024 के तहत जारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम-16 व परिशिष्ट IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नहीं होंगे।
2. यह नियुक्ति आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल याचिका संख्या 1905/2026, 4084/2026, 18091/2025 एवं माननीय न्यायालय में विचाराधीन उक्त भर्ती से संबंधित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अधीन रहेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
4. परीवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से प्रत्येक पूर्ण मास के आधार पर आनुपातिक आकस्मिक अवकाश देय होगा। राजस्थान सेवा नियमों व समय-समय पर जारी संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार का अवकाश परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में देय नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र प.15(01)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।

RajKaj Ref No.:
24011122



Digitally signed by
NAVNEET KUMAR
Designation: Commissioner
Date: 2026-08-13 13:54:17
IST

5. परीवीक्षा काल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
6. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अस्थायी सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
7. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को सूचित करेंगे, कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
8. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उक्त संबंध में यदि इस नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस में पूर्व कार्यरत विभाग से कार्यमुक्ति/त्याग पत्र स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कार्यग्रहण काल में नियमानुसार अभिवृद्धि हेतु, 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाना होगा।
9. उपर्युक्त चयनित सूची के क्र.स. 10,12,13,28 द्वारा पदस्थापन कार्यालय में उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र/पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों/अधिसूचना के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र/अधिसूचना लागू होंगे।
11. राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/उल्लेखित शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने/सही संदर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य/मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्वधीन रहेगी।
12. यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में जांच उपरान्त दस्तावेज बोगस/फर्जी/मिथ्या पाये जाते हैं, तो कार्यग्रहण के उपरांत भी ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी।
13. अभ्यर्थी की नियुक्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
14. संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। **कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-आचरण सत्यापन के दौरान**



कोई भी विपरीत तथ्य के पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता को होगा।

15. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.7(13)कार्मिक/क-2/23 जयपुर दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने संबंधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवाभिलेख में संकलित किया जावें।
16. अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची की वरीयता क्रम के अनुसार रहेगी।
17. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
19. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी,एससी, ओबीसी, एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सामान्यअवि/2011/ 68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
20. यह नियुक्ति राजस्थान सरकार की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगी।
21. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
22. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-2 में वेतन निर्धारण कर नियमानुसार वेतन व उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
23. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राजस्थान सरकारी कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम, 2021 एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार क्रमशः सामान्य प्रावधायी निधि एवं आरजीएचएस अंशदान की मासिक कटौती नियमानुसार की जायेगी।

कार्यालयाध्यक्ष कार्यग्रहण करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमानुसार सेवा रिकार्ड संधारित करें, तथा कार्यग्रहण की सूचना नामवार भिजवायें, जो अभ्यर्थी नियत समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करते हैं, उनकी सूचना अविलम्ब भिजवायें।

(नवनीत कुमार)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

RajKaj Ref No.:
24011122



Digitally signed by
NAVNEET KUMAR
Designation: Commissioner
Date: 2026-08-13 13:54:17
IST

क्रमांक : प.3(बी)(2)संस्था/उप/2026/ए-4380-4480 दिनांक :- 13.08.2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक क्रमांक: प.3(1)प्र.सु./अनु-3/2024-07601 दिनांक 08.07.2026 के क्रम में।
4. निजी सचिव, आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर।
5. अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन अपील/सतर्कता, बीकानेर/जैसलमेर।
6. उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर/नाचना/जैसलमेर।
7. सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु. कोलायत/मोहनगढ 'ए'/'बी'।
8. उपनिवेशन तहसीलदार.....।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी उपनिवेशन विभाग बीकानेर।
10. अतिरिक्त सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रशासन) बीकानेर।
11. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर/जैसलमेर।
12. कोषाधिकारी बीकानेर/जैसलमेर।
13. उपकोषाधिकारी कोलायत/पोकरण।
14. सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती.....।
15. निजी संचायिका श्री/सुश्री/श्रीमती.....।
16. गोपनीय प्रकोष्ठ।
17. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

RajKaj Ref No.:
24011122



Digitally signed by
NAVNEET KUMAR
Designation: Commissioner
Date: 2026-08-13 13:54:17
IST